पत्रांक–कारा / बजट(उप)–03–01 / 16......92.........

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
उपकारा, विक्रमगंज, पटना सिटी,
मसौढ़ी, दाउदनगर, नवगछिया,
दानापुर, एवं बगहा ।

पटना, दिनांक–..03../..02../2017।

विषयः– मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विभिन्न स्थापना मदों में निकासी हेतु राशि ₹1,00,68,000 (एक करोड़ अड़सठ हजार रूपये मात्र)) के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड–N-2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17 / बी0एस0जी0–18 / 2016–423 / वि. दिनांक–31.03.2016 पत्रांक–एम0–4–09 / 2014–4572 / वि0 दिनांक–03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु अधीक्षक, उपकारा विक्रमगंज, पटना सिटी, मसौढ़ी, दाउदनगर, नवगछिया, दानापुर, एवं बगहा से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्नरूपेण राशि का अतिरिक्त आवंटन विभिन्न स्थापना मदों मे स्वीकृत किया जाता है :–

क्र	उपकारा का नाम	कुट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दो में
1	पटना सिटी	01 01–वेतन	2760000	375000	3135000	एकतीस लाख पैंतीस हजार रूपयेमात्र।
		0103–जीवनयापन भत्ता	4000000	495000	4495000	चौवालीस लाख पनचानबे हजाररू०मात्र
		28 01 व्य० एवं विशेष सेवाएँ	3000000	1000000	4000000	चालीस लाख रूपये मात्र।
2	दानापुर	01 01– वेतन	4520000	300000	4820000	अड़तालीस लाख बीस हजार रू०मात्र।
3	नवगछिया	0101– वेतन	2640000	400000	3040000	तीस लाख चालीस हजार रूपये मात्र।
		0103–जीवनयापन भत्ता	3440000	450000	3890000	अड़तीस लाख नब्बे हजार रूपये मात्र।
		0104–मकानकिरायाभत्ता	168000	20000	188000	एक लाख अठासी हजार रूपये मात्र।
		0106–चिकित्सा भत्ता	42000	10000	52000	बावन हजार रूपये मात्र।
		01 07–अन्य भत्ता	30000	14000	44000	चौवालीस हजार रूपये मात्र।
4	बगहा	01 01– वेतन	3000000	955000	3955000	उनचालीस लाख पचपन हजाररू०मात्र
		0104–मकानकिरायाभत्ता	244000	62000	306000	तीन लाख छः हजार रूपये मात्र
		0106–चिकित्सा भत्ता	40000	11000	51000	एकावन हजार रूपये मात्र।
		01 07–अन्य भत्ता	36000	10000	46000	छियालीस हजार रूपये मात्र।
		11 01–यात्रा व्यय	30000	20000	50000	पचास हजार रूपये मात्र।
		28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	3500000	1986000	5486000	चौवन लाख छियासी हजार रूपये मात्र।
5	विक्रमगंज	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	2500000	1060000	3560000	पैंतीस लाख साठ हजार रूपये मात्र।
6	दाउदनगर	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	2600000	400000	3000000	तीस लाख रूपये मात्र।
7	मसौढ़ी	28 01–व्य० एवं विशेष सेवाएँ	3500000	2500000	6000000	साठ लाख रूपये मात्र।
		कुल योग	**36050000**	**10068000**	**46118000**	**चार करोड़ एकसठ लाख अठारह हजार रूपये मात्र।**

(एक करोड़ अड़सठ हजार रूपये मात्र)

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल के तहत् होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या–22 विपत्र

E:\SYS\JAIL\ALLOTMENT AND EXPENDITURE\2016-17\...

मो. जमालुद्दीन अंसारी

6

कोड–N2056001010003 एवं अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

3. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो ले कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

4. आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

5. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं0–405/वि0 दिनांक–25.05.06 के आलोक में अलग–अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

6. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

मो॰ जमालुद्दीन अंसारी, उप॰ पदा॰   2/2/17   ह॰

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–01/16.....92..........   पटना, दिनांक–03/02/2017

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मो॰ जमालुद्दीन अंसारी, उप॰ पदा॰   2/2/17   ह॰

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–01/16.....92..........   पटना, दिनांक–03/02/2017

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मो॰ जमालुद्दीन अंसारी, उप॰ पदा॰   2/2/17   ह॰

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–01/16.....92..........   पटना, दिनांक–03/02/2017

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।